nt>

Title: Adverse impact of the proposed Patent Bill (Third Amendment) on prices of life saving drugs.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, संसद के इसी सत्र में पेटेंट सम्बन्धी कानून में तीसरा संशोधन विधेयक सरकार लाने वाली है। भारतीय दवाओं में नई चीज देखने को मिल रही है। कैंसर, डायबिटीज और हार्ड डिसीज जैसी प्रमुख बीमारियों की दवाओं के दामों में काफी वृद्धि की सम्भावना दिखाई दे रही है। वैसे भी भारत की जनता के लिए जीवन रक्षक दवाओं की कीमत एफोर्डेबल नहीं है। मैं जिस प्रांत से आता हूं, वहां 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे प्रांत के लोगों के लिए तो मौजूदा कीमत पर भी इन बीमारियों की दवा खरीदना सम्भव नहीं है। सरकार ऐसा संशोधन विधेयक ला रही है और यह जो कीमतों में वृद्धि की सम्भावना दिखाई दे रही है, उसे सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं कि वांटेड ड्रग्स के बारे में जो यह खतरा दिखाई दे रहा है, आने वाले बिल में उसका क्या समाधान हो सकता है, सरकार इसे ध्यान में रखे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पाइंट रेज किया है।